Reg. No. 28/65-66

ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

उपशाखा .... जिला ....

Website- www.gramvikasadhikari.org, E-Mail : rvdo.raj@gmail.com, Mob. 9829092714

क्रमांक :— दिनांक :—

—:: ज्ञापन ::—

पदोन्नति नहीं, तो काम नहीं आंदोलन

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय मंत्री महोदय,
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय,
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

द्वारा :— ....

विषय :— ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की विगत 05 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के मांग पत्र का सकारात्मक निस्तारण करवाने बाबत।

सन्दर्भ :— संघठन का ज्ञापन क्रमांक 93 दिनांक 20.07.2023, ज्ञापन दिनांक 25.02.2025 एवं कार्यवाही विवरण विभागीय बैठक दिनांक 4 मार्च, 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा पंचायती राज मंत्री महोदय की कार्मिक कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसमें समयबद्ध पदोन्नतियां सहित कार्मिकों की मांगों पर संवेदनशीलता से कार्य करना समाहित है।

श्रीमान जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावनाओं के विपरीत ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के प्रथम पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी पद पर होने वाली पदोन्नतियां विगत 05 वर्षों (2020—21, 2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25) से लंबित है तथा इसके अतिरिक्त उच्चतर पदों (सहायक, अतिरिक्त एवं विकास अधिकारी पद) पर भी समस्त पदोन्नतियां लंबित हैं, लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरण लंबित है। कुछ ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरण तो वर्ष 2003 से ही लंबित है ।

इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की महत्वपूर्ण मांगो पर भी लंबे समय से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है यहां तक कि कुछ निर्णय तो प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध जा कर संवर्ग के हितों के विपरीत किए गए है।

संघठन द्वारा उक्त समस्त तथ्य विभाग के संज्ञान में लाने के बाद भी आज दिनांक तक विभाग द्वारा ना ही तो पदोन्नतियों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की गई है एवं ना ही मांग पत्र पर सकारात्मक कार्यवाही की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी पद को सम्मिलित करते हुए लगभग 14600 का कैडर है एवं समयबद्ध पदोन्नतियां नहीं होने तथा मांग पत्र पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने से सभी संवर्गों में जबरदस्त निराशा और आक्रोश व्याप्त है। जिसके कारण विवश होकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ को **''पदोन्नति नहीं तो, काम नही'' असहयोग आंदोलन** प्रारंभ करना पड़ रहा है ।

अतः आपसे आग्रह की ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की समयबद्ध पदोन्नतियां करवाने के साथ ही मांग पत्र की मांगों पर सकारात्मक निर्णय करवाने का श्रम करें अन्यथा संगठन विवश होकर निम्नानुसार चरणबद्ध आन्दोलन करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी।

आंदोलन के चरण

चरण	दिनांक	गतिविधी
प्रथम	17 मार्च 2025, सोमवार	श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं श्रीमान विकास अधिकारी को जिला कार्यकारिणी एवं ब्लाक कार्यकारिणी द्वारा ज्ञापन
द्वितीय	21 मार्च 2025, शुक्रवार	समस्त राजकीय व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होना
तृतीय	24 अप्रेल 2025, गुरूवार	संपूर्ण प्रदेश में ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर ज्ञापन
चतुर्थ	01 मई 2025, गुरूवार	प्रदेश के समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय चेतावनी धरना एवं स्वामित्व योजना में पूर्ण असहयोग
पंचम	08 मई 2025, गुरूवार	प्रदेश के समस्त पुराने 33 जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय चेतावनी धरना एवं स्वामित्व योजना के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में भी पूर्ण असहयोग
षष्ठम	15 मई 2025, गुरूवार	संपूर्ण प्रदेश में कलम बंद असहयोग आंदोलन
सप्तम	22 मई 2025, गुरूवार	शहीद स्मारक जयपुर पर अनिश्चितकालीन धरना

सादर।

भवदीय

(..)
उपशाखा अध्यक्ष
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ
उप शाखा ....

(.......................................)
उपशाखा मन्त्री
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ
उपशाखा ....

Reg. No. 28/65-66

ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

कार्यालय :– ई–10/84 चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर

Website- www.gramvikasadhiari.org, E-Mail : rvdo.raj@gmail.com, Mob. 9829092714

क्रमांक :– दिनांक :–

ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियों में आ रही जटिलताओं का विवरण :–

1. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिव्यू याचिका संख्या 37/ 2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करवाई जाए। इसके लिए OIC श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर एवं श्रीमान इंद्रजीत चौधरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता जोधपुर को निर्देश जारी किये जावे।
2. एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 14955/ 2021 ग्यारसी लाल लाल बनाम राजस्थान सरकार में गलत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दोषी ओ आई सी विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल, उदयपुर श्री अशोक कुमार डिंडोर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।
3. एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 172/2016 श्री मुखराम बनाम राजस्थान सरकार के संबंध में दिनांक 30 जनवरी, 2024 की स्थाई समिति बैठक में किए गए नो अपील के निर्णय को रिव्यू याचिका संख्या 37/ 2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल के अध्यधीन पुनः रिव्यू किया जावे।
4. ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने के राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 285 में संशोधन की माह अक्टूबर 2024 से लंबित पत्रावली का सकारात्मक निस्तारण करवाया जावे।
5. ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी पद पर माननीय न्यायालय निर्णय अधीन रखते हुए पदोन्नतियां की जावे।
6. विकास अधिकारी के पद पर अतिरिक्त विकास अधिकारी से एड हॉक प्रमोशन पर विचार किया जावे।
7. ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की विगत 10 वर्षों के लगभग 500 बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरणों का निस्तारण करवाया जावे तथा इसके साथ ही तीन संतान संबंधी प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।
8. ग्राम विकास अधिकारियों के विगत 5 वर्षों से लम्बित पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभाग स्तर पर अधिकारी/ कर्मचारियों की स्पेशल सेल बनाई जावे।

भवदीय

(शिवराज चौधरी)
प्रदेश महामन्त्री
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,जयपुर

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रदेश अध्यक्ष
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,जयपुर

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28(194)पराविे/प्रशा.2/ग्राविअ/बन्द लिफाफा/2024–50690 जयपुर, दिनांक

–बैठक कार्यवाही विवरण–

आज दिनाक 04 मार्च, 2025 को दोपहर 02.30 बजे शासन सचिव एव आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी संघ, जयपुर द्वारा विभाग में प्रस्तुत मांग ज्ञापन में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में विचार–विमर्श एवं समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये --

1. श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), पंचायती राज।
2. श्री रामनारायण बड़गुर्जर, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), पंचायती राज।
3. श्री इन्द्रजीत सिंह, उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (प्रथम), पंचायती राज।
4. श्री कृष्ण कन्हैया मीणा, वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज।
5. श्री योगेन्द्र कुमार दाधीच, सयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज।
6. श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी, संयुक्त आयुक्त (प्र.2) पंचायती राज।
7. श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, राज0 ग्राम विकास अधिकारी संघ
8. श्री प्रहलाद जाट, प्रदेशाध्यक्ष, ग्राम विकास अधिकारी संघ
9. श्री शिवराज चौधरी, प्रदेश महामंत्री, ग्राम विकास अधिकारी संघ
10. श्री ओम प्रकाश भाकर, प्रदेश संगठन मंत्री, ग्राम विकास अधिकारी संघ
11. श्री कैलाश बारेठ, अति0 विकास अधिकारी
12. श्री भवानी चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी
13. श्री राकेश सिंह निर्वाण, ग्राम विकास अधिकारी
14. श्री बाबू सिंह, अति0 विकास अधिकारी
15. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अति0 प्रशासनिक अधिकारी, जांच शाखा, पंचायती राज।
16. श्री सुरेन्द्र सिंह, अति0 प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन–2 शाखा, पंचायती राज।

उक्त बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार सुझाव प्रस्तावित किये गये --

क्र.स	ज्ञापन में वर्णित बिन्दु	विभागीय टिप्पणी	लिया गया निर्णय
1.	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर रिव्यू याचिका संख्या 37/2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल में प्रभावी	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिव्यू याचिका संख्या 37 / 2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल मे प्रभावी पैरवी की कार्यवाही हेतु OIC मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला	माह अगस्त, 2023 मे इस प्रकरण में ओ.आई.सी., सी.ई.ओ. जोधपुर को बनाया गया है। विलम्ब का क्या कारण है इस हेतु संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner

क्र.स	ज्ञापन में वर्णित बिन्दु	विभागीय टिप्पणी	लिया गया निर्णय
	पैरवी सुनिश्चित करवाई जाए। इसके लिए OIC श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर एवं श्रीमान इंद्रजीत चौधरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता जोधपुर को निर्देश जारी किये जावे।	परिषद जोधपुर नियुक्त है।	के द्वारा प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु ए.ए.जी. व ओ.आई.सी. को शासन सचिव महोदय की ओर से अ.शा. पत्र लिखा जावे एवं समुचित कार्यवाही करावें।
2.	एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 14955 / 2021 ग्यारसी लाल लाल बनाम राजस्थान सरकार में गलत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दोषी ओ आई सी विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल, उदयपुर श्री अशोक कुमार डिंडोर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।	एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 14955 / 2021 ग्यारसी लाल लाल बनाम राजस्थान सरकार में ओ आई सी विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल, उदयपुर श्री अशोक कुमार डिंडोर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का विधि अनुभाग मुख्यालय से परीक्षण अपेक्षित है।	मुकेश पोरवाल, दिनेश बलाई की प्रार्थना पर 16.05.2022 को अभ्यावेदन का निस्तारण किया जा चुका है परन्तु एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 14955/2021 ग्यारसी लाल लाल बनाम राजस्थान सरकार में नियुक्त ओ.आई.सी. द्वारा दिनांक 25.05.2022 को अभ्यावेदन के निर्णय से भिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत होना बताया है। ओ.आई.सी. की नियुक्ति विधि अनुभाग द्वारा की जाती है अतः श्री अशोक कुमार डिंडोर, ओ.आई.सी. के द्वारा अपनें दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन किया गया अथवा नही, इसका परीक्षण संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा किया जाकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रशासन–1 शाखा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3.	एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 172/2016 श्री मुखराम बनाम राजस्थान सरकार के सबंध में दिनांक 30 जनवरी, 2024 की स्थाई समिति बैठक में किए गए नो अपील के निर्णय को रिव्यू याचिका संख्या 37 / 2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल के अध्यधीन पुनः रिव्यू किया जावे।	एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 172/2016 श्री मुखराम बनाम राजस्थान सरकार के संबंध में दिनांक 30 जनवरी 2024 की स्थाई समिति बैठक में किए गए नो अपील के निर्णय को रिव्यू याचिका संख्या 37 / 2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल के अध्यधीन पुनः रिव्यू के सबंध में अग्रिम कार्यवाही विभागीय विधि अनुभाग की जानी है।	संयुक्त विधि परामर्शी याचिका के संबंध में पुनः रिव्यू की कार्यवाही बाबत परीक्षण कर शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय को आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

Scanned with CamScanner

क्र.स	ज्ञापन में वर्णित बिन्दु	विभागीय टिप्पणी	लिया गया निर्णय
4.	ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने के राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 285 में संशोधन की माह अक्टूबर 2024 से लंबित पत्रावली का सकारात्मक निस्तारण करवाया जावे।	एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 14955 / 2021 ग्यारसी लाल लाल बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिव्यू याचिका संख्या 37 / 2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल के अध्ययधीन राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 285 मे संशोधन किये जाने हेतु राजकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त हो गयी है, जिसमें मा0 राज0 उच्च न्यायालय में सबज्यूडाईस होने से इन पदो पर वरिष्ठता एवं पदोन्नति के बारे में कार्यवाही उक्त रिव्यू याचिका के निर्णय के उपरान्त ही की जानी मेरी राय में उचित रहेगी तथा उक्त रिव्यू याचिका के निर्णय के पश्चात् ही यह अभिनिर्धारित किया जा सकेगा कि नियमों में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है।	प्रकरण के संबंध में पत्रावली में ए.ए.जी की राय संलग्न कर विधि विभाग से मार्गदर्शन हेतु भेजा जावें।
5.	ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी पद पर माननीय न्यायालय निर्णय अधीन रखते हुए पदोन्नतियां की जावे।	वरिष्ठता के संबंध में एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 14955 / 2021 ग्यारसी लाल लाल बनाम राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश एवं उक्त आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिव्यू याचिका संख्या 37 / 2023 सरकार बनाम ग्यारसी लाल के अध्ययधीन पदोन्नति किये जाने के संबंध में राजकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त हो गयी है. प्राप्त विधिक राय का विधि शाखा से परीक्षण/राय प्राप्त किये जाने के उपरान्त सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।	माननीय न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 14955 / 2021 ग्यारसी लाल लाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा रिव्यू याचिका संख्या 37/2023 माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए पदोन्नतियां किये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। प्रकरण में संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा विधिक परीक्षण कर समुचित कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
6.	विकास अधिकारी के पद पर अतिरिक्त विकास अधिकारी से एड हॉक प्रमोशन पर विचार किया जावे।	अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय (जांच अनुभाग) से कार्यवाही अपेक्षित है।	विकास अधिकारी के पद पर अतिरिक्त विकास अधिकारी से एड हॉक प्रमोशन के लिंए संघ द्वारा प्रकरण मे कार्मिक विभाग से पुनः राय लेने की

Scanned with CamScanner

क्र.स	ज्ञापन में वर्णित बिन्दु	विभागीय टिप्पणी	लिया गया निर्णय
			मांग की गई। अतः इस संबंध में पत्रावली कार्मिक विभाग को राय हेतु भिजवावें। (अतिरिक्त विकास अधिकारी संस्थापन, जांच शाखा)
7.	ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की विगत 10 वर्षों के लगभग 500 बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरणों का निस्तारण करवाया जावे तथा इसके साथ ही तीन संतान संबंधी प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।	विभागीय रिकॉर्ड अनुसार ग्राम विकास अधिकारियों के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 241 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 47 बंद लिफाफा निस्तारण हेतु जिलो से जांच कार्यवाही लम्बित/समाप्त होने की सूचना प्राप्त हो गयी है जिसके संबंध में कार्यवाही प्रकियाधीन है।	बन्द लिफाफा एवं डेफर प्रकरणो पर नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता से की जावें। (प्रशासन–2)
8.	ग्राम विकास अधिकारियों के विगत 5 वर्षों से लम्बित पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभाग स्तर पर अधिकारी / कर्मचारियों की स्पेशल सेल बनाई जावे।	विभागीय राजकाज आदेश कमांक 13924404 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा संयुक्त आयुक्त प्रशासन–द्वितीय की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारियो की पदोन्नतिया करवाये जाने हेतु डीपीसी सैल का गठन किया जा चुका है।	डीपीसी सैल का गठन किया जा चुका है।

सभी संबंधित को बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शीघ्र कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम), पंचायती राज।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(द्वितीय), पंचायती राज।
5. निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), पंचायती राज।
6. अति0 निजी सचिव, उपायुक्त एवं शासन उप सचिव(प्रथम), पंचायती राज।
7. निजी सहायक, संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग।
8. संयुक्त आयुक्त (प्र.2), पंचायती राज।
9. श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, राज0 ग्राम विकास अधिकारी संघ एवं समस्त उपस्थित साथीगण।
10. संबंधित उपस्थित अधिकारी/कार्मिक।
11. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Brajesh Kumar Chandolia
Designation : Additional Commissioner
Date :05-03-2025 03:51:16

Scanned with CamScanner